न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 07/2019

इन्द्राज पुत्र कालुराम जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

–:: बनाम ::–

1. कालूराम पुत्र धन्नाराम उर्फ चानणराम जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णलाल पुत्र कालूराम पुत्र धन्नाराम उर्फ चानणराम जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
3. जीतराम पुत्र कालूराम पुत्र धन्नाराम उर्फ चानणराम जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
4. मीरादेवी पुत्री कालूराम पुत्र धन्नाराम उर्फ चानणराम जाति कुम्हारनिवासी महियांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188, 92ए आर.टी.ए.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — वादी
2. श्री गोपाल कपूर अधिवक्ता — प्रतिवादी 1 ता 4
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी–5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.04.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि प्रतिवादी सं0 1 को वादी के दादा/परदादा से चक 6 एच एच तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 13/10, मु0 न0 26 के किला न0 16 ता 25 की 2.530 हे0 नहरी कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई/बनायी गई, इस प्रकार उपरोक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 व उसके तीनों पुत्रों व पुत्री के संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में प्रतिवादी सं0 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता व मैनेजर होने के नाते प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है जबकि जन्म से वादी का इस भूमि में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हक हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादी का उपरोक्त भूमि में 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 ने पारिवारिक समझौता द्वारा उपरोक्त भूमि को जद्दी जायदाद होने का मानकर व वादी का हक हिस्सा होने का मानकर मौके पर बंटवारा भी किया गया, परिवार बढ जाने से अलग–अलग रहने लग गये, इस कारण अब प्रतिवादी सं0 1 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह अन्य प्रतिवादी के प्रभाव में होने तथा अन्य लोगों के अनुचित प्रभाव में होने के कारण जो कि प्रतिवादी सं0 1 से भूमि मुंतकिल करवाकर हडपने के प्रयास में है, प्रतिवादी सं0 1 उपरोक्त भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में है, यदि वह इसमें सफल हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, वह अपने हक हिस्सा से महरूम होगा, अतः वादी के लिए अपने अधिकारों की घोषणा करवाना, उपरोक्त खाता की भूमि का विभाजन किलावाईज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना, लगान मामला कायम करवाना तथा डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से बार–बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त कृषि भूमि चक 6 एच एच तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 13/10, मु0 न0 26 के 2.530 हे0 को वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी व अविभाजित सम्पति होने का मानकर तथा वादी को जन्म से हक हिस्सा होने से उसको 1/5 हिस्सा का खातेदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये तथा खाता का विभाजन किलावाईज करवाकर वादी के नाम किलावाईज भूमि दर्ज करवाये तथा वादी के हिस्सा की भूमि को किसी को रहन बैय मुंतकिल करने से व वादी के कब्जा काश्त में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने से बाज व ममनु रहे, मगर वह टालमटोल करते हुए दिनांक 06.01.19 को साफ इंकारी हो गया यही वादी को वाद हेतु प्राप्त हुआ है। वादीद्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज चक 6 एच एच तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 13/10, मु0 न0 26 के किला न0 16 ता 25 की 2.530 हे0 वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में वादी का 1/5 हिस्सा होने से वादी को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) यह कि उपरोक्त भूमि चक 6 एच एच तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 13/10, मु0 न0 26 के किला न0 16 ता 25 की 2.530 हे0 का खाता विभाजन वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के बीच में करवाया जाकर वादी के हिस्सा की भूमि किलावाईज उसके नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

(ग) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावें कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 वादी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने, जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से दिनांक 05.02.2019 को इकबालिया जवाबदावा पेश हुआ जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है कि यह सही है कि चक 6 एच एच तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–13/10 मुरब्बा नम्बर–26 के किला नम्बर–16 ता 25 की 2.530 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या–1 को विरास्तन प्राप्त हुई तथा यह भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 के सयुंक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति के रूप में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज चली आ रही है तथा इसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। यहां यह भी निवेदन करना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या–4 ने वास्तव में पारिवारिक समझौता में अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के हक में छोड़ दिया। इसी कारण विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के बीच हुआ तथा विभाजन के अनुसार काविज चले आ रहे है। जहां तक शेष मद का प्रश्न है मनमुटाव होने के कारण प्रतिवादी संख्या–1 ने भुमि मुन्तकिल करने का प्रयास किया मगर बाद में पक्षकारानं के बीच मनमुटाव समाप्त हो गया। इस प्रकार किलावाईज भूमि के विभाजन में हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया है पक्षकारान में मनमुटाव होने के कारण वादी को दावा लाना आवश्यक हो गया वरना आराजी जेर बहस कि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 बहिस्सा बराबर के हकदार है तथा इनके बीच में विभाजन करवाये जाने में कोई आपति नहीं है। जहां तक वादी ने अनुतोष चाहा है उसमें वादी को खातेदार घोषित करते हुये उपरोक्त भूमि का विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के बीच करवाया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।

स्टेट की ओर से पैरोकार राज द्वारा दिनांक 06.08.2019 को स्टेट जवाब किया गया।

बहस वकील उभ्यपक्ष की सुनी जाकर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदा(राजस्व), श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक भू.अ./2020/277 दिनांक 03.02.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 27.10.2020 वाद डिक्री किया गया। प्रतिवादी कालूराम द्वारा निर्णय दिनांक 27.10.2020 के विरूद्ध श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत की गई । अपील अपीलार्थी स्वीकार कर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.10.2020 को निरस्त कर आदेश दिया जाता है कि राजीनामे अनुसार निर्णय पारित करे। प्रकरण मूल राजीनामा व आपके न्यायालय की पत्रावली तथा इस न्यायालय के आदेश सहित लौटाया जा रहा है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :–

(1) कालूराम पुत्र धन्ना राम

कालू राम के हिस्सा मे चक 6 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के मरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 19/2 के पूर्व दिशा मे 15 बिस्वा, 22 सालम 23/1 के पश्चिमी दिशा मे 10 बिस्वा, 18/1 के पूर्वी दिशा मे 5 बिस्वा कुल 2 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(2) कृष्ण लाल पुत्र कालू राम

कृष्ण लाल के हिस्सा मे चक 6 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 24–25 प्रत्येक सालम, 23/2 के पूर्व मे 10 विस्वा कुल 2 बीघा 10 विस्वा हिस्सा।

(3) जीत राम पुत्र कालू राम

जीत राम के हिस्सा मे चक 6 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 20–21 प्रत्येक सालम, 19/1 के पश्चिम म दिशा में 5 बिस्वा कल 2 बीघा 5 विस्वा हिस्सा।

(4) इन्द्राज पुत्र कालू राम

इन्द्राज के हिस्सा मे चक 6 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 28 के किला नम्बर 16–17 प्रत्येक सालम, 18/2 के पूर्व दशा में 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 1 5 विस्वा हिस्सा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे एवम् उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.04.21

(उम्मेद सिंह रतन)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
श्रीगंगानगर
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner